

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL (M.P.)

IN THE MATTER OF :
NAVENDU MISHRA

O.A.NO. - 154/2023
- APPLICANT

//VERSUS//

MUNCIPAL COUNCIL OF SEONI (M.P.) & Others -NON APPLICANTS

Report as per Direction on 30-10-2024

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

पक्ष क्रमांक 1 : गोंड महासभा

पक्ष क्रमांक 2 : नवेंदु मिश्र

प्रकरण 154/2023 मे माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार सिवनी शहर के दलसागर तालाब मे निर्मित हो रहे फुटओवर ब्रिज के संदर्भ मे उभय पक्षों मे समन्वय एवं आपसी समझौते हेतु बैठक आयोजित कि गई जिसमे आपसी बातचीत के अनुसार पारस्परिक निर्णय के अनुसार निम्न बिन्दु सामने आए है :

- 1- माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 26-10-2024 को सिवनी सिवनी के स्थानीय दुर्गा मंदिर भवन मे एक बैठक उभय पक्षों के बीच आयोजित की गई जिसमे पक्ष क्रमांक 1 कि ओर से (1) चंदन लाल मर्सकोले (2) चित्तौड़सिंह कुशराम (3) संतकुमार मर्सकोले, (4) विजय उईके उपस्थित रहे इसी प्रकार पक्ष क्रमांक 2 की ओर से 1 नवेंदु मिश्र 2 अर्पित देशमुख 3 आनंद मिश्रा उपस्थित रहे।
- 2- यह कि उभय पक्षों की वार्ता के परिणाम स्वरूप पक्ष क्रमांक 1 द्वारा प्रस्ताव रखा गया
 - a. प्रथम कि फुट ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु कुछ रास्ते निकले जावे जिसके माध्यम से आदिवासी समुदाय अपने पूजन हेतु साल मे चार बार दलसागर तालाब के मध्य स्थित टापू तक पहुच पाए।
 - b. द्वितीय टापू स्थित राजा दलपत शाह की मूर्ति और उसके स्टैचू को यथावत रखा जाए उसके साथ कोई छेड़छाड़ न कि जावे।

- 3- इसी प्रकार पक्ष क्रमांक 2 द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि उभय पक्ष दलसागर तालाब के आस पास की गंदगी, अतिक्रमण, टापू एवं दलसागर तालाब का सौन्दरियकरण, गंदे जल का दलसागर मे मिलना बंद करने के उपाय, दारू आदि की दुकाने परिधि से हटाए जाने, सीवर प्लांट लगाए जाने हेतु साथ मिलकर कार्य करे।
- 4- यह कि पक्ष क्रमांक 1 के दोनों प्रस्तावों पर चर्चा उपरांत पक्ष क्रमांक 2 द्वारा पक्ष क्रमांक 1 के दूसरे प्रस्ताव पर पूर्ण सहमति प्रस्तुत की गई कि टापू स्थित राजा दलपत शाह की मूर्ति और उसके स्टैन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ न कि जाए उसे यथावत रखा जाए। प्रथम प्रस्ताव पर पक्ष क्रमांक 2 द्वारा कहा गया कि यदि किसी भी प्रकार का अस्थाई वैकल्पिक मार्ग निर्माण वर्तमान स्थिति को छोड़कर किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह अस्थाई वैकल्पिक मार्ग केवल आदिवासी समाज के पूजा दिवसों के लिए वर्ष मे 4 बार ही इस्तेमाल किया जाए ताकि दलसागर का पर्यावरण और टापू मानवीय हस्तक्षेप से बचा रहे, पर्यटन या नियमित आवागमन हेतु कोई व्यवस्था न की जाए।
- 5- यह कि, पक्ष क्रमांक 1 एवं पक्ष क्रमांक 2 द्वारा आदिवासी समाज के पूजन हेतु पूजन दिवसों के दौरान दलसागर तालाब के टापू तक जाने के लिए किसी अन्य वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु सहमति बनी।
- 6- यह कि, उभय पक्ष बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 5 के समस्त कथनों पर अपनी स्वीकृति व्यक्त करते हुए यह रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करते है।

हस्ताक्षर
 संत कुमार मर्सकोले
 सिवनी (समाजसेवी)
 दिनांक : 26/10/2024

हस्ताक्षर
 चितो इंसिंह कुशराम
 जिला अध्यक्ष, गोंडसमाज

हस्ताक्षर
 पक्ष क्रमांक 1 - चंदनलाल मर्सकोले
 प्रदेश अध्यक्ष, गोंडसमाज

हस्ताक्षर
 विजय उइके (समाजसेवी)
 पक्ष क्रमांक 2

हस्ताक्षर
 जे.के. मिस्र
 जिला
 जिला प्रमुख